न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 07/16 **वर्ष 2016**

जीसीएम संख्या :–2016/00339

बउनवानी:–1. अनिल कुमार पुत्र श्री भवानी शंकर पारीक निवासी चौथ का बरवाडा

2. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री भवानी शंकर पारीक निवासी,चौथ का बरवाडा

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच,ग्राम पंचायत, चौथ का बरवडा
2. दिनेश पुत्र लाल चन्द जैन निवासी चौथ का बरवाडा
3. संतोष पुत्री लालचन्द जैन निवासी चौथ का बरवाडा
4. शिमला पत्नि स्व0 सत्यनारायण जैन निवासी चौथ का बरवाडा
5. आशा पुत्री लालचन्द जैन निवासी चौथ का बरवाडा
6. श्रीमति रमा देवी पत्नि सूर्य प्रकाश शर्मा नि0,काजियो का चौक,चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व प्रस्ताव संख्या 20 निर्णय दिनांक 20.2.2016 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थित:–1. श्री श्रीदास सिंह राजपूत वकील प्रार्थी

2. श्री बालकृष्ण उपाध्याय वकील अप्रार्थी–1

–: निर्णय :– **दिनांक 15.12.2022**

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के द्वारा लिये गये प्रस्ताव संख्या 20 दिनांक 20.2.2016 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। क्योकि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को अनुचित लाभ पहुँचाने की गरज से पंचायत नियमों की पालना किये बिना ही कार्यालय मे बैठकर गुपचुप तरीके से उक्त प्रस्ताव लिया गया है। यह तर्क भी दिया अधीनस्थ न्यायालय ने मामले मे सर्वप्रथम उप सरपंच रामधन नागर, पंच ओम प्रकाश, प्रेमशंकर चंदेल व राधा देवी को मौका निरीक्षण हेतु लगाया गया था परन्तु उक्त पंचो द्वारा मौके की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की इच्छा के अनुरूप नही करने पर अन्य पंच सूरज व नाथूलाल सैनी का नाम कार्यवाही मे बढाकर गलत तरीके से उनसे मौका रिपोर्ट ले ली गयी। इस प्रकार सदस्यगण सूरज व नाथूलाल सैनी का आदेश मे आदेश होने के पश्चात नाम बढाया जाना अधीनस्थ न्यायालय की समस्त कार्यवाही पर संदेह पैदा करता है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 का मुकदमे मे वर्णित खाम मकान ग्राम चौथ का बरवाडा मे स्थित था जिसे खाम से पुख्ता बनाने की इजाजत लेने हेतु अप्रार्थीगण की दादी कंचन देवी द्वारा दिनांक 10.1.1987 को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी थी जिसकी पत्रावली संख्या 591 है। अधीनस्थ न्यायालय सन् 1997 मे ही इस मकान को खाम से पुख्ता बनाने की इजाजत प्रदान कर दी थी तथा नक्शा स्वीकृत कर दिया था जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के मकान की उत्तर से दक्षिण लम्बाई 45 फुट है तथा उत्तर दिशा मे 6 फुट चबूतरा है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे सन् 1987 मे दी गयी निर्माण स्वीकृति को छुपाकर अप्रार्थीगण को अनुचित [illegible] से यह विवादित स्वीकृति जारी कर दी है जिसमे आम रास्ता की 2.6 फुट भूमि अप्रार्थी [illegible] के [illegible] दर्ज कर दी है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी 2 लगायत 5 के इस मकान [illegible] 120 [illegible] ने दिनांक 6.1.1996 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है तथा [illegible] पुख्ता मकान निर्मित [illegible] जिसमे प्रार्थीगण सपरिवार निवास कर रहा है। [illegible] ने अपने मकान की [illegible] दिनांक 14.3.2016 को अप्रार्थीगण नम्बर 6 को विक्रय कर दी है जिसने मौके रास्ते की 2.6 [illegible] भूमि दबाते हुए निर्माण कार्य चालू कर दिया है। आदेश जैर निगरानी से उत्तर दक्षिण मे 44 फुट के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

46.6 फुट भूमि पर जारी निर्माण स्वीकृति अवैधानिक होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः निगरानी प्रा0 पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 6 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। क्योकि दिनांक 20.2.2016 को पत्रावली संख्या 1467 दिनांक 11.1.2016 वास्ते निर्णय कोरम की साधारण सभा मे अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 द्वारा सामलाती ढूंढा का नक्शा प्रमाणित व स्वामित्व प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत पेश होने पर आपत्ति नोटिस क्रमांक 1467–504 दिनांक 12.1.2016 जारी किया गया। अन्दर मयाद पत्रावली मे आपत्ति दर्ज नही होने पर मौका रिपोर्ट ली गयी। सदस्यो ने खाम ढूंढा अग्रवाल धर्मशाला (पिपली वाले) के सामने जिसकी सीमाऐ पूर्व मे अनिल कुमार पारीक का मकान पश्चिम में रास्ता व भोमराज दर्जी का खाम मकान तथा उत्तर मे आम रास्ता तथा दक्षिण में दुर्गलाल तम्बोली का पुख्ता मकान के मध्य है खाम भूखण्ड ढूंढा की माप "ए पार्ट" 26.3 x16.6 = 433.125 "बी पार्ट" 36.9 x 38.6x=492.31 "सी पार्ट" 16.6 x 11+10.6=177.37, कुल 1102.80 वर्ग फिट खाम ढूंढा व सरकारी जमीन चबूतरा 26.3 X 6.6=173.58 वर्ग फिट भूमि है जिसकी स्वामित्व फीस डीएलसी रेट बी श्रेणी से लेकर नक्शा प्रमाणित व स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश की जाने पर खाम ढूंढा व सरकारी चबूतरी सहित कुल 1276.36 वर्ग फिट भूखण्ड का नक्शा प्रमाणित व स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त स्वीकृति के अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा निर्माण कार्य किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पहुँचता हूँ कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पक्ष में खाम ढूंढा कुल 1102.80 वर्ग फिट का नक्शा प्रमाणित व स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ–साथ सरकारी जमीन चबूतरा 26.3 X 6.6 =173.58 वर्ग फिट भूमि का भी डीएलसी रेट बी श्रेणी से स्वामित्व फीस लेकर नक्शा प्रमाणित व स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश की जाने पर खाम ढूंढा व सरकारी चबूतरी सहित कुल 1276.36 वर्ग फिट भूखण्ड का नक्शा प्रमाणित व स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस प्रकार दिनांक 20.2.2016 को किया गया नक्शा प्रमाणित एवं जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं अप्रार्थीगण की दादी कंचन देवी द्वारा दिनांक 10.1.1987 को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी पत्रावली संख्या 591 मे पारित निर्णय दिनांक 7.7.1987 में दर्शायी गयी माप विरोधाभाषी प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण का पुनः परीक्षण करवाया जाना उचित समझता हूँ।

अतः प्रार्थीगणो की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित पूर्व पत्रावली संख्या 591 एवं वर्तमान पत्रावली संख्या 1467 के नक्शे एवं माप इत्यादि का अवलोकन कर उभय पक्षों को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए पुनःविधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर